

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15637/2009

प्रबंध समिति सेठ मोतीलाल (पीजी) कॉलेज, रानीसती रोड, झुंझुनू

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, शिक्षा संकुल , जेएलएन मार्ग, जयपुर।

----प्रतिवादी

संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2743/2010

वैदिक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आर्य समाज, राजा पार्क, जयपुर अपने अध्यक्ष श्री के माध्यम से। सत्यव्रत सामवेदी.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, गांधी नगर, जयपुर।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4650/2010

1. प्रबंध समिति सेठ ज्ञानी राम बंशीधर पोद्दार कॉलेज , राम बिलास पोद्दार रोड, नवलगढ़ जिला झुंझुनू अपने सचिव श्री आरबीएल अग्रवाल के माध्यम से।
2. श्री आरबीएल अग्रवाल पुत्र श्री श्याम बिहारी लाल निवासी नवलगढ़। जिला- झुंझुनू।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल , राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री अजीत मालू
श्री प्रत्यूष शर्मा
श्री हर्ष प्रताप सिंह
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री आदित्य सिंह, उप-जीसी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

05/09/2024

1. इन तीनों रिट याचिकाओं पर इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि इनमें शामिल तथ्य और मुद्दे एक ही हैं।
2. सुविधा के लिए तथ्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2743/2010 से लिए जा रहे हैं।
3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान चला रहा है। याचिकाकर्ता को दिनांक 01.04.1985 के आदेश द्वारा 90% सहायता प्रदान की गई थी। 08.08.2006 को आयोजित अनुदान सहायता समिति की बैठक में, धारा 13(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छियालीस संस्थानों की अनुदान सहायता 90% से घटाकर 80% कर दी गई थी। बैठक के अनुसरण में, दिनांक 14.10.2009 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता-संस्थान की श्रेणी को ग्रेड-ए में बदल दिया गया, जिससे अनुदान सहायता 80% हो गई। आदेश में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 19 पर है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 7(6) के अनुसार, स्वीकृति प्राधिकारी को केवल किसी भी नियम व शर्तों के उल्लंघन पर ही सहायता अनुदान रोकने, कम करने और निलंबित करने का अधिकार है, जबकि नियम व शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। तर्क दिया गया है कि सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और आदेश में श्रेणी बदलने और सहायता अनुदान कम करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।
5. प्रतिपक्ष के अनुसार, सहायता अनुदान अधिकार का विषय नहीं है। तर्क यह है कि धारा 7(6) के अंतर्गत, स्वीकृति प्राधिकारी को सहायता अनुदान को कम करने, रोकने और निलंबित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम, 1993 (संक्षेप में '1993 के नियम') के नियम 10(xv) के अनुसार, अनुदान सहायता निधि की उपलब्धता के अधीन दी जानी है। तर्क यह है कि संस्था का बुनियादी ढाँचा पूरी तरह से विकसित हो चुका था और उसके बाद पूर्ण सहायता अनुदान देने की आवश्यकता नहीं थी।
6. अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार सहायता अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और इसे राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय रोका जा सकता है। उपधारा 2 के अंतर्गत गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उपधारा 3 स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार सहायता वितरित करने का अधिकार देती है। उप-धारा 4 और 5 के अनुसार, सहायता में संस्थान के निर्धारित व्यय शामिल होंगे और कर्मचारियों के वेतन के लिए दी गई सहायता राशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। उपधारा 6 के अंतर्गत स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सहायता को कम करने, रोकने और निलंबित करने का अधिकार है। उपधारा 7 के अनुसार सहायता की राशि सामान्यतः सचिव को दी जानी है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कारण दर्ज करने के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को भी दी जा सकती है।
7. वार्षिक आवर्ती अनुदान के आकलन की प्रक्रिया नियम 13 के अंतर्गत है। उप-नियम (1) के अनुसार, अनुदान निर्धारित व्यय के आधार पर दिया जाना है, जिसका समायोजन अगले वर्ष में किया

जा सकता है। उप-नियम (2) में प्रावधान है कि अनुमोदित व्यय पर, अनुदान सहायता के प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाएगा। उप-नियम (3) में श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं और उप-नियम 3 की टिप्पणियों के अनुसार, अनुदान सहायता समिति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट, सामान्य सुधारों और वर्गीकरण के सिद्धांतों के आधार पर तीन वर्षों के बाद अनुदान सहायता में वृद्धि या कमी की जा सकती है। इसमें प्रावधान है कि किसी संस्थान को परिशिष्ट-VII में निर्धारित श्रेणी के अनुसार मामले की जाँच के बाद विशेष श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

8. नियम 18 में यह प्रावधान है कि यदि प्रबंधन नियमों और शर्तों का पालन करने या प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है या संस्था का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में विफल रहता है तो स्वीकृति प्राधिकारी सहायता अनुदान को रोक सकता है, कम कर सकता है या निलंबित कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले प्रबंधन को लगाए गए आरोपों के लिए कारण बताने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है।

9. अनुदान सहायता को कम करने, रोकने और निलंबित करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रावधान नियम 18 में किया गया है।

10. दिनांक 08.08.2006 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त और दिनांक 14.10.2009 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रेणी परिवर्तन और सहायता अनुदान में कटौती के लिए याचिकाकर्ता को न तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही ऐसा करने के कारण बताए गए। पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और नियम 18 में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है।

11. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि सहायता अनुदान अधिकार का विषय नहीं है, अस्वीकार किया जाता है। धारा 7(1) में प्रावधान है कि संस्थान द्वारा किसी भी सहायता का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान सहायता स्वीकृत करने के प्रारंभिक चरण में लागू होगा। सहायता स्वीकृत हो जाने पर, सहायता की श्रेणी बदलने, उसे निलंबित करने, कम करने या रोकने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। सहायता अनुदान की श्रेणी में परिवर्तन और कमी के नागरिक परिणाम होते हैं और संस्थान के छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थापित कानून है कि नागरिक परिणाम वाले प्रशासनिक आदेश पारित करते समय भी, कारण न केवल दर्ज किए जाने चाहिए, बल्कि प्रभावित पक्षों को भी बताए जाने चाहिए।

12. विचारणीय एक अन्य पहलू यह है कि न तो दिनांक 08.08.2006 को आयोजित बैठक में और न ही दिनांक 14.10.2009 के आदेश में समिति द्वारा संस्था के विरुद्ध एकत्रित किसी प्रतिकूल सामग्री का उल्लेख किया गया था या नियम 13(3) के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए आधार बनाने हेतु निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई थी या यह कि बुनियादी ढांचे के विकास के कारण सहायता कम की जा रही है।

13. नियम 10 के खंड (xv) पर भरोसा करते हुए प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि सहायता अनुदान का भुगतान धन की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा और इसे अधिकार के

रूप में दावा नहीं किया जा सकता , निरर्थक है। कार्यवृत्त या विवादित आदेश में यह स्थापित नहीं किया गया है कि अनुदान में कटौती धन की अनुपलब्धता के आधार पर की गई थी।

14. विवादित आदेश और बैठक के विवरण को रद्द किया जाता है और रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि इन रिट याचिकाओं में संस्था की सफलता, प्रतिवादियों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

(अवनीश झिंगन) ,जे

रिया/ सुनीता / 63-65

क्या रिपोर्ट योग्य है – हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी